

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रेशन हेतु

238

# आवेदन प्रपत्र

प्राप्ति स्थान

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार कर्मचारी बचत व साख सहकारी समिति लि०

अलवर-301001

४

राजस्थान सरकार



## \* रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र \*

क्रमांक ..... २५२/..... अलवर, २००३-२००५

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्टेम्प श्रीबगु शोटों सोनीते

नं० २०१० राजस्थान ल०६० छ०२०३ जिला अलवर का राजस्थान  
संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम नं० २८, १९५८) के अन्तर्गत  
रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।



यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और काव्यलय की सील से आज दिनांक ३१.१२.२००५

माह फ़रवरी सन् २००३-२००५ को अलवर में दिया गया।

दात्य प्रतिलिपि  
३१.१२.२००५  
रजिस्ट्रार संस्थाये, अलवर

रजिस्ट्रार संस्थाये  
अलवर

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

## विधान (नियमावली)

तथा

## संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र के बीच मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों व कार्यशेव के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाये जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 10 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पृष्ठि संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक प. 10 संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों का हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. उन्नीसवें धारा 4 में संस्था को प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करता है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पितृओं का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी। जिसमें कम से कम 5 अधिक सदस्यों का होना अनिवार्य है।
7. भूत्र विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर लिखें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिए।
8. आवश्यक का बाट कर लघु हस्ताक्षर करें।

### धारा 20

9. सोसाइटीयों जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सके गा:- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटीयों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात्:-  
पूर्ण प्रयोगने के लिए स्थापित सोसाइटीयां, सेनिक अनाथ निधियां, [खादी और ग्राम्योदय], साहित्य, विद्यान या लिखित कालाओं की भेलपत्र के लिए स्थापित सोसाइटीयां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी भवनों सञ्चालन जिला 2 यमगांडहौ या रथापित सोसाइटीया सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिए सुनिश्चित संरक्षण या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों या ग्रामीण संग्रहालयों के लिए स्थापित सोसाइटीयां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दातानीक भावावकासों, लिंगित या अधिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटीयां।

10. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र पाठ्य प्राप्त कर उसमें दिये गए निरेशों को पूर्ण करते हुये विधान नियमावली के अनुसार की प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक मन्त्री ए कोग्राम्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाइ निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित तारीख पर रुपये 10/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किये जावें।

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अभाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कोलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. शहरी क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक अथवा पार्षद के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे और गामोण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्राबली (फाइल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य फैजलट आवश्यक हैं।
20. अन्य संस्थाये जिनके द्वारा शिक्षण, उक्नोंको या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
21. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबन्धकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से हैं जिसमें पति और पति, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे जो उभयं पर आश्रित हो तथा पति को विधवा माँ जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।
22. नई संस्था के आवेदन प्रपत्र के बल सोमवार/मंगलवार को ही कार्यालय समय में जमा करवाये जा सकें।
23. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
24. अधिसूचना क्रमांक प.4(5) कृषि-4/सह/91 दिनांक 29-1-1998 द्वारा राज्य सरकार लल्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रूपये के स्थान पर 2500/- रूपये निर्धारित करते हैं।

**नोट:-** रजिस्ट्राम संस्थाये द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्राम संस्थाएं के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे।

## संघ विधान-पत्र

संघ पत्र १८१३।

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम सोसाइटी विवेकानन्द समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है वर्गीकृत है।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय है।  
तथा कार्यक्षेत्र:- जो इसका कार्यक्षेत्र है, वह तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था का निश्चिह्नित उद्देश्य:-

1. एशियन अंशगठन की समर्पण करना।  
2. भारतीय आधारित विचारों का स्थानान्तरण करना।  
3. विद्यालयों में नवीन उच्चानन्द विद्यालय का उभारण करना।  
4. वर्गों में विभिन्न विषयों पर विद्यालय का उभारण करना।  
5. स्कूलों के विद्यार्थियों के विद्यालय का उभारण करना।  
6. विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय का उभारण करना।  
7. विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय का उभारण करना।  
8. विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय का उभारण करना।  
9. विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय का उभारण करना।  
10. विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय का उभारण करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।

*Roshan*

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

1. संस्था की वित्तीय जरूरी २५२१ रुपये ०० पैसे  
2. विद्यालय विवेकानन्द विद्यालय के २००० रुपये  
3. विद्यालय विवेकानन्द विद्यालय के २००० रुपये  
4. विद्यालय विवेकानन्द विद्यालय के २००० रुपये  
5. विद्यालय विवेकानन्द विद्यालय के २००० रुपये  
6. विद्यालय विवेकानन्द विद्यालय के २००० रुपये

(3) ४  
बलवर (विवेकानन्द)

विस्तृत विवरण

4. संस्था वा कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्न हैं:-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	सत्यनारायण कुमारी ३२१०५८७	कृषि	बट्टा-१२ माँ-बड़ी बहरोड़-जिला-अलवर गोप्ता-हमीरपुर न. बाहु-उपाधेपुर जिला-अलवर	अध्यक्ष
2.	चंद्रगति पुत्र श्री उल्लास	कृषि	गोप्ता-आलीरपुर न. बहरोड़ जिला-अलवर	महाप्रभु
3.	रेशनलता कुमारी पश्चिम अद्यापन		गोप्ता-गुलाली न. - बहरोड़, जिला-अलवर	उपाधी
4.	परसीराम पुत्र श्री छल्लम लेवानिका		बड़ी न. १ गारनालीपुर बहरोड़-जिला-अलवर	कोषाट्य
5.	दिनेश उमर कुमारी मोहनलाल व्यापारी	व्यापारी	बड़ी न. १ गारनालीपुर बहरोड़-जिला-अलवर	ओरीह
6.	मोहनलाल कुमारी अमरनाथ	व्यापारी	बड़ी न. १ गारनालीपुर बहरोड़-जिला-अलवर	महाप्रभु
7.	पिला पर्वती कुमारी उमरी गुहारी		बहरोड़ गलम नी कड़ी बहरोड़ (अलवर)	महाप्रभु
8.	मोहरलिंग कुमारी वल्लभीना व्यापारी	व्यापारी	बड़ी न. २ उमरी कड़ी बहरोड़ अलवर	महाप्रभु

अध्यक्ष

Resham  
मर्वा

जिला-अलवर

कोषाट्य

5. हम निम्न हस्ताक्षर के द्वारा जानते हैं कि यह संघ प्रकार है, इस संघ विधान पद के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में उचित होने व इसे रजिस्टर करवाने के इच्छुक हैं:-

क्र. सं.	नाम व वित्त का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	इकाई
1.	मन्त्री श्री शशी कुमार चौधरी	कृषि	मन्त्री श्री शशी कुमार चौधरी बड़गाँव बालू अलीगढ़	मीटिंग
2.	दाशपाल कुमार श्री कुमार	कृषि	दाशपाल कुमार श्री कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	मीटिंग
3.	रमेश कुमार श्री कुमार	अपूर्यापन	रमेश कुमार श्री कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	Roshan
4.	विनोद श्री शशी कुमार	पेनलिशर	विनोद श्री शशी कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	मीटिंग
5.	दिलीप श्री शशी कुमार	कृषि	दिलीप श्री शशी कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	Dileep
6.	मोहनलाल श्री शशी कुमार	भाषण	मोहनलाल श्री शशी कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	मीटिंग
7.	पिला चौधरी श्री कुमार	शैक्षणी	पिला चौधरी श्री कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	मीटिंग
8.	प्रदीप श्री शशी कुमार	भाषण	प्रदीप श्री शशी कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	मीटिंग
9.	रमेश कुमार श्री कुमार	द्रविनकर्ता	रमेश कुमार श्री कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	Ram Babu
10.	शुलाल श्री शशी कुमार	कृषिकार्य	शुलाल श्री शशी कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	Gulal
11.	दीनराम श्री शशी कुमार	भाषण	दीनराम श्री शशी कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	मीटिंग
12.	रवीन कुमार श्री शशी कुमार	कृषिकार्य	रवीन कुमार श्री शशी कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	Nov 2013
13.	प्रदीप कुमार श्री शशी कुमार	भाषण	प्रदीप कुमार श्री शशी कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	प्र० १५७८१२
14.	दिलीप कुमार श्री शशी कुमार	भाषण	दिलीप कुमार श्री शशी कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	मीटिंग
15.	विश्वास श्री शशी कुमार	कृषि	विश्वास श्री शशी कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	विश्वास
16.	भूपेन्द्र श्री शशी कुमार	भाषण	भूपेन्द्र श्री शशी कुमार बड़गाँव बालू अलीगढ़	भूपेन्द्र

हम निम्न हस्ताक्षरकार्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्हें हमारे साथ अपने-आपने हस्ताक्षर किये हैं। उन्हें भी प्राप्ति करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)

उत्तराखण्ड  
श्रीमान् शशी कुमार  
(राजपत्र अधिकारी)

मय मोहर

अध्यक्ष

(साक्षी)

व्याकुलमाण  
राजपत्र अधिकारी

मय मोहर

Dinesh  
कोपाध्यक्ष

Roshan  
मन्त्री

समिति सोमाइटी/संस्थान/संस्कृ

परकरण वर्ष (मिलन)

## विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम मध्यम शिवम् नियमित उत्तराचल है। जरूरी तिला - अलवर समिति सोमाइटी/संस्कृत संस्था है वहाँ
2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय मध्यम शिवम् रामपुरा है औ उत्तराचल तथा इसका कार्यक्षेत्र अलवर अलवर है जो तक सीमित है
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था का निप्रलिखित उद्देश्य:

1. उत्तराचल की व्यापक व्यापार व उत्तराचल की व्यापक व्यापार का विकास करना।
2. देश ग्रन्थों, उत्तराचल की व्यापार व उत्तराचल का विकास करना।
3. उत्तराचल योषाहा व उत्तराचल का विकास करना।
4. राजस्वार्थी विद्या का विकास करना।
5. अनुष्ठानित विद्या व विद्युत को विकास करना।
6. इतिहास का विकास करना।
7. लोगों में जनसंरक्षण विकास करना।
8. विद्युत विकास का विकास करना।
9. विद्युत का विकास करना।
10. देश के विद्युत के विकास करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।

अध्यक्ष

Roshan

मन्त्री

मन्त्री

कोष

4. सदस्यता:-  
निम्न योगों में से जाने व्याप्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-  
 1- संस्था के धार्य शब्द में निवास करते हों।  
 2- वालिंग हो।  
 3- पागल, दीवालिया न हों।  
 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हो।  
 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।
5. सदस्यों का वर्गीकरण:-  
संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे।  
 1- संरक्षक  
 2- विशिष्ट  
 3- सम्मानन्दीय  
 4- साधारण  
 (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)
6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चक्रन्ता:-  
उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चक्रन्ता देय होगा:-  
 1- संरक्षक राशि ..... ३/५/- वार्षिक/आजन्म  
 2- विशिष्ट राशि ..... २/५/- वार्षिक/आजन्म  
 3- सम्मानन्दीय राशि ..... ५/५/- वार्षिक  
 4- साधारण राशि ..... ५/५/- वार्षिक  
 उक्त राशि एक मुख्य अथवा रु. ....  
 की भासिक की दर से जागे करता हो सकेगी।
7. सदस्यता से निष्कासन:-  
संस्था के सदस्यों द्वारा निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा।  
 1- मृत्यु/जन्म सुरक्षा  
 2- लौगि-पत्र देने पर  
 3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत काम करने पर  
 4- प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषा पाये जाने पर।  
 उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा वे निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अनिम्न होगा।  
 संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समालूप प्रकार के सदस्य निष्कासन सभा का निर्णय करेंगे।
8. साधारण सभा के अधिकार और कार्यव्य
9. भवित्वा सभा के अधिकार और कार्यव्य  
साधारण सभा के निम्न अधिकार और कार्यव्य होंगे:-  
 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।  
 2- वार्षिक बजट पास करना।  
 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।  
 4- संस्था के कूस सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।  
 (जो राजस्तान के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रोतोलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)
10. भवित्वा सभा की वैठकें:-  
1- साधारण सभा की वैठक में एक वैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।  
 2- एषा सभा की वैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।  
 3- वैठक का सूचना 7 दिन पूर्व व अल्पावश्यक वैठक का सूचना 3 दिन पूर्व दो आवेदन।  
 4- कोरम के अभाव में वैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित वैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय बही होंगे जो पूर्व एजन्डा में थे।  
 5- संस्था के 1/3 अधिकार 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिये लिखित आवेदन करने पर मंत्री अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर वैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा वैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों द्वे से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की जैसे आले नामस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।
11. कार्यकारिणी का गठन:-  
ग्रंथालय को मूल्यालूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जानेवाला पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे।

/ 31/3/22 55

1- अध्यक्ष-एक	2- उपाध्यक्ष-एक
3- मन्त्री-एक	4- कोषाध्यक्ष-एक
5- सदस्य-मात्र 2	6- उपमन्त्री- एक
(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहाँ अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख ले।)	
इस कार्यकारिणी में ..... 6 ..... पदाधिकारी व 9 ..... सदस्य कुल ..... 8 ..... सदस्य होंगे।	

**12. कार्यकारिणी का निर्वाचन:-**

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी के चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

**संस्था की कार्यकारिणी के नियमित अधिकार व कर्तव्य होंगे:-**

1- सदस्य बनाना/नियकासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनके बतन भत्तो का निधारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण समिति द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियों बनाना।

7- अन्य कार्य जैसे संस्था के हितार्थ हों, करना।

1- कार्यकारिणी की वय में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी चुलाई जा सकती।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे में अधिक होगा।

3- बैठक को सूचना प्राप्त: 7 दिन पूर्व दो जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक को सूचना परिचालन से बाहर भाग्य में भी दो जा सकती हैं।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकती जो पुनः दूसरे दिन नियमित संस्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम को आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होगें, जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणों के कम से कम दो पदाधिकारीयों की उपस्थिति निवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

**संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य नियम प्रकार होंगे:-**

**15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:-**

**1- अध्यक्ष:**

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णयक मत देना।

3- बैठकों आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

**2- उपाध्यक्ष:**

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।  
2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

**3- मन्त्री:**

1- बैठकों आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा विल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेज पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- अन्तिम की सुनाई हेतु विभिन्न अन्य कार्य जैसे अवलम्बन करना।

- 4- उपमंत्री :  
 1- मंत्री को अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संभलन करना।  
 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।
- 5- कोषाध्यक्ष :  
 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।  
 2- दैनिक लेखों पर निवन्दण रखना।  
 3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर स्वीद देना।  
 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कार्य

संस्था का कार्य निम्न प्रकार संचित होगा:- 232/31/2021 २.८३-६

- 1- चन्दा .....  
 2- शुल्क .....  
 3- अनुदान .....  
 4- सहायता .....  
 5- राजकीय अनुदान .....  
 1- उच्च प्रकार संचित राजीव इन्डस्ट्रीज़ एवं राजीव इन्डस्ट्रीज़ द्वारा वितरित रखी जायेगी।  
 2- अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किसी ने राजीव इन्डस्ट्रीज़ संयुक्त हस्ताक्षरों से वैक ने लेन-देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषधिकार

संस्था के द्वितीय तथा क्षेत्रीय समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की गणितीय पृष्ठतात्त्ववृत्तकर्ता सके गे:-

- 1- अध्यक्ष ..... 100/- रु.  
 2- मंत्री ..... 55/- रु.  
 3- कोषाध्यक्ष ..... 55/- रु.

उपरोक्त गणितीय का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।

अंकेश्वर वर्मा नियुक्त प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेश्वरार्थः-

संस्था के समस्त लेखों-जोखों का वार्षिक अंकेश्वरण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार भंस्थार्ये को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विभान में परिवर्तन :-

संस्था के विभान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 वहनत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था को समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। लेकिन उच्च समस्त कार्यालयों राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाये को पैलोगम रह करने का पूरा अधिकार होगा।

21. संस्था का नाम :-

का निरीक्षण :- १. करने का पूर्ण विविक्त होगा व उसके दिये गये सुझावों को पूर्ति की जायेगी।

प्रमाणित किया जाना है कि नाम नियमानुसारी है।

सामान् गोशुधटो/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष

1. उच्च तरं प्रदीप विजय के ..... ५५/-

2. इन्द्रिय कुमार के ..... ५५/-

3. नक्षत्री राधेना पव देने को दिनांक २५/८/२२ कोषाध्यक्ष

4. नक्षत्र तंत्र करने को दिनांक २५/८/२२

5. नक्षत्र देने को दिनांक २५/८/२२

शंखा या नाम = अवार्य "तित्रा" से लिये जाते हैं।  
कार्यक्रिया का तत्वात्मक विवरण

संस्कृत वाचन

卷之三

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	वयस्सा	पता	पद
१.	मोहनलालपाटि	मोहनलालपाटि	५६३	जोधपुर १२ वाराणी वस्ती अच्छी	
२.	बुद्धगुरु	बुद्धगुरु	४०७	२३० चारोंदार १	उपायक्षम
३.	राजेश्वरीलाल	राजेश्वरीलाल	५०५	२३० चारोंदार १	मंत्री
४.	रिकेश्वर	रिकेश्वर	५०५	२३० चारोंदार १	कोषधायक
५.	महेश्वर	महेश्वर	५०५	२३० चारोंदार १	सदस्य
६.	मोहनलाल	मोहनलाल	५०५	२३० चारोंदार १	सदस्य
७.	बुद्धगुरु	बुद्धगुरु	५०५	२३० चारोंदार १	उपायक्षम
८.	मोहनलाल	मोहनलाल	५०५	२३० चारोंदार १	

१०८

# सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना(बहरोड) अलवर

पंजियन क्रमांक 252/2003-04  
कार्यकारिणी का गुलनात्मक विवरण

पूर्व कार्यकारिणी					वर्तमान कार्यकारिणी						
क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	फट	क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	फट
1.	श्री राजकुमार यादव	श्री जावरसिंह	व्यापार	ग्राम-पी. मानरा बहरोड	उपचाय	1.	श्री राजकुमार यादव	श्री जावरसिंह	व्यापार	ग्राम-पी. मानरा बहरोड	अध्ययन
2.	श्री राकेश रुद्रार	श्री महावीरसिंह	अध्ययन	ए५५ उमाकोशिला अलवर	उपचाय	2.	श्री हितेनश्वरुद्धराम	ग्राम-पी.आर.भर्मा	व्यापार	ग्राम-पी.भावादीला चौक	उपचाय
3.	श्री सत्यनारायण	श्री रुद्रमल	तुकानदारी	वाई न. २ वालडी बहरोड	मर्मी	3.	श्री एरेनकुमारचंपारी	ग्राम-पी. विवराल	व्यापार	ग्राम-पी. शालाठीकला चौक	नक्षी
4.	श्री रत्नेश	श्री धीताराम	व्यापार	ग्राम-पी. गोदालपुरा बहरोड	उपचायी	4.	श्री रकेश युमार	ग्राम-पी. भावादीरसिंह	अध्ययन	ए५५ अध्योक्षिकार अलवर	उपचायी
5.	श्री दिनेश्वरमार	श्री मोहनलाल	व्यापार	वाई न. १ बहरोड	कोषायास	5.	श्रीमति रविन्द्र	श्री राधीरसिंह	अध्ययन	ग्राम-पी. जावरसिंह बहरोड	कोषायास
6.	श्री योहनलाल	श्री यमवानदास	व्यापार	चारनेल गोड बहरोड	सदस्य	6.	श्री सत्यनारायण	श्री रुद्रमल	तुकानदारी	वाई न. २ वालडी बहरोड	आडिट
7.	श्री योहरसिंह	श्री बनवारीलाल	व्यापार	वाई न. ३ रुद्र बहरोड	सदस्य	7.	श्री दिनेश्वरमार	श्री मोहनलाल	व्यापार	वाई न. १ बहरोड	सदस्य
8.	श्री पामपाल	श्री रामवल्लभ	व्यापार	ग्राम-पी.गुरेजा फिल्मनाड	सदस्य	8.	श्री पामपाल	श्री यमवाल्लभ	व्यापार	ग्राम-पी.गुरेजा फिल्मनाड	सदस्य
9.	श्री गुलाब	श्री भीष्माराम	तुकानदारी	वाई न. १० बहरोड	सदस्य	9.	श्रीमति रघुनाला	श्री जसवल रिह	अध्ययन	ग्राम-पी. गोदालपुरा बहरोड	सदस्य
10.	श्री महावीरप्रसाद	श्री रामजीलाल	व्यापार	ग्राम-पी.काट्टवास बहरोड	सदस्य	10.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा	श्री प्रभातीलाल	व्यापार	ग्राम-पी. भीमपाल बहरोड	सदस्य
11.	श्रीमति गुरुरत्ना	श्री जसवल रिह	अध्ययन	ग्राम-पी.काट्टवास बहरोड	सदस्य	11.	श्री पामल गुप्ता	श्री दिनेश कुमार	व्यापार	ग्राम-पी. गोदालपुरा बहरोड	सदस्य
12.	उच्च कक्ष का योगीरार	परेन	अध्ययन	ग्राम-पी.जखराना बहरोड	परेन	12.	उच्च कक्ष का योगीरार	परेन	अध्ययन	ग्राम-पी. गोदालपुरा बहरोड	परेन
13.	श्री गुलदयपलसिंह	श्री कुलन लाल	व्यापार	ग्राम-पी.बालपुरा बहरोड	अध्ययन	13.	श्री पहातीरायसाह	श्री रामजीलाल	व्यापार	ग्राम-पी.गोदालपुरा बहरोड	अध्ययन
14.	प्रधानचार्य	परेन	अध्ययन	ग्राम-पी.जखराना बहरोड	परेन	14.	प्रधानचार्य	प्रधानचार्य	अध्ययन	ग्राम-पी.जखराना बहरोड	अध्ययन
15.	जिलाक्रियागतिकारी	परेन	अध्ययन	ग्राम-पी.गोदालपुरा बहरोड	परेन	15.	जिलाक्रियागतिकारी/विद्यावाचारिया/विद्यालय कार्यपाली	परेन	ग्राम-पी.गोदालपुरा बहरोड	परेन	परेन

प्राप्ति दर्शक = नीति व्यवस्था विवरण  
नेतृत्व वाले का नाम लिखें।

अध्ययन

मर्मी

कोषायास

प्राप्ति दर्शक = नीति व्यवस्था विवरण  
नेतृत्व वाले का नाम लिखें।

अध्ययन

मर्मी

  
राजकुमार यादव, अलवर

# सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना(बहरोड) अलवर

पंजियन क्रमांक 252/2003-04

विधान संशोधन का तुलनात्मक विवरण

विधान की धारा संख्या	पूर्व विधान	संशोधित विधान
11. कार्य कारिणी का गठन	<p>संस्था के कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगे:-</p> <p>1. अध्यक्ष - एक    2. उपाध्यक्ष - एक      3. मन्त्री - एक    4. उपमंत्री - एक      5. कोषाध्यक्ष - एक    6. सदस्य निर्वाचित - छ:      7. सदस्य मनोनीत-चार (1. छात्र प्रतिनिधि-एक      2. अभिवक्त प्रतिनिधि- एक 3. अध्यापक प्रतिनिधि- एक 4. राजकीय प्रतिनिधि- एक)</p> <p>इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में पांच पदाधिकारी व छ: सदस्य निर्वाचित तथा चार सदस्य मनोनीत कुल पन्द्रह सदस्य होगे।</p>	<p>संस्था के कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगे:-</p> <p>1. अध्यक्ष - एक    2. उपाध्यक्ष - एक      3. मन्त्री - एक    4. उपमंत्री - एक      5. कोषाध्यक्ष - एक    6. आडिटर - एक      7. सदस्य निर्वाचित -पांच      7. सदस्य मनोनीत -चार (1. छात्र प्रतिनिधि- एक      2. अभिवक्त प्रतिनिधि- एक 3. अध्यापक प्रतिनिधि- एक 4. राजकीय प्रतिनिधि - एक)</p> <p>इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में छ: पदाधिकारी व पांच सदस्य निर्वाचित तथा चार सदस्य मनोनीत कुल पन्द्रह सदस्य होगे।</p>

R. 11. पुराने नियम 1953 की पारा 19  
 के अनुसार यह प्रतिनिधि विधान वाला है यह  
 प्रत्येक सदस्य के दायरा में चारों मंत्री, पत्र  
 जो कार्यालय की प्रावधानी में संस्था के संस्थानीय  
 तक उपलब्ध है कि प्रमाणित करता है।  
 प्रमाणित प्रति दोनों की दिनांक  
 नकल तैयार करने वाले ले स्वतंत्रता

K. 11. 2003  
 कोषाध्यक्ष

5. अध्यक्ष  
 रजिस्ट्रार दस्तावेज़, अलवर

लिखात वृश्चिक का तुलवलिङ्ग विवरण

नियम संख्या

१. कार्यकारिणी का

२०८

इस संख्या के कार्य को सुवार्ण रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा। जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे—

१. अध्यक्ष—एक
२. उपाध्यक्ष—एक
३. नंबी—एक
४. उपनंबी—एक
५. कोषाध्यक्ष—एक
६. सदस्य—एक
७. आदिकर—एक

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में प्रथम पदाधिकारी व दो सदस्य कुल ७ सदस्य होंगे।

पूर्व का विवाह

संशोधित/परिवर्तित विवाह

गठन किया जावेगा। जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे—

१. अध्यक्ष—एक
२. उपाध्यक्ष—एक
३. नंबी—एक
४. उपनंबी—एक
५. कोषाध्यक्ष—एक
६. सदस्य निवृत्यक्ष—एक
७. सदस्य भौतीत—चार

१. अध्यक्ष प्रतिनिधि—एक

२. अधिभावक प्रतिनिधि—एक

३. अध्यापक प्रतिनिधि—एक

४. यात्कीय प्रतिनिधि—एक

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पाच पदाधिकारी, छह सदस्य निवृत्यक्ष मनोनीत कुल १० पदहूँ सदस्य होंगे।

३. वृश्चिक तिथि

दुर्गाकृष्ण विवाह तिथि

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

१०१८

मंडी  
कौशिक  
१०१८

अध्यक्ष  
R. K. Singh

सारथा का नाम २५२३०८८ (ट्रिलोगी) सर्टिफिकेट त्रिलोगी (एस०) प्रीमियन कमांड २०१४ / २०२३-२०२४

कायदारिणी का लगातार विवरण

पूर्व को सावधारणी	पिता का नाम	उम्रसंदर्भ	पता	उम्र
-------------------	-------------	------------	-----	------

नवनिवार्येत कापूकारिमि

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	वर्षांत्र	पास	पद
1	अशोक चंद्र बहुल	लोका वर्ण लिङ्ग	८३० पाल	७५० वार्षिकांग धर्म	मन्त्री
2	" विजय चंद्र बहुल	" विजय चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	उपायमंत्री
3	" अमरेश चंद्र बहुल	" अमरेश चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री
4	" विजय चंद्र बहुल	" विजय चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री
5	जगन्नाथ चंद्र बहुल	" जगन्नाथ चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री
6	" उमा चंद्र बहुल	" उमा चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री
7	जगन्नाथ चंद्र बहुल	" जगन्नाथ चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री
8	" लक्ष्मी चंद्र बहुल	" लक्ष्मी चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री
9	" विजय चंद्र बहुल	" विजय चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री
10	" रत्न चंद्र बहुल	" रत्न चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री
11	" विजय चंद्र बहुल	" विजय चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री
12	लक्ष्मी चंद्र बहुल	लक्ष्मी चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री
13	" अनीश चंद्र बहुल	" अनीश चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री
14	जगन्नाथ चंद्र बहुल	जगन्नाथ चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री
15	जगन्नाथ चंद्र बहुल	जगन्नाथ चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री
16	जगन्नाथ चंद्र बहुल	जगन्नाथ चंद्र लिङ्ग	८३० पाल	८५० वार्षिकांग धर्म	मंत्री

प्रमाणित किया जाए।”

1. हृताम्बर पहन रखा था.....
  2. हृताम्बर सुनते थाले के.....
  3. नकल हेतु प्रायंत्रिक देने का इच्छिक.....
  4. नकल तैयार करने का विनाक... १.२.०५ | ०६
  5. नकल देने को दिखाएक १२.२.५ | १४.०६

रजिस्टर बिल्डिंग

ଅଧ୍ୟାତ୍ମ  
Rishabh

卷之三

१८५८

# सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना(बहरोड) अलवर

पंजियन क्रमांक 252/2003-04

विधान संशोधन का तुलनात्मक विवरण

विधान की धारा संख्या	पूर्व विधान	संशोधित विधान
11. कार्य कारिणी का गठन	<p>संस्था के कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <p>1. अध्यक्ष - एक    2. उपाध्यक्ष - एक      3. मन्त्री - एक    4. उपमंत्री - एक      5. कोषाध्यक्ष - एक    6. सदस्य निर्वाचित - छः      7. सदस्य मनोनीत-चार (1. छात्र प्रतिनिधि-एक      2. अभिवक्त प्रतिनिधि- एक 3. अध्यापक प्रतिनिधि- एक 4. राजकीय प्रतिनिधि- एक)</p> <p>इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में पांच पदाधिकारी व छः सदस्य निर्वाचित तथा चार सदस्य मनोनीत कुल पन्द्रह सदस्य होंगे।</p>	<p>संस्था के कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <p>1. अध्यक्ष - एक    2. उपाध्यक्ष - एक      3. मन्त्री - एक    4. उपमंत्री - एक      5. कोषाध्यक्ष - एक    6. आडिटर - एक      7. सदस्य निर्वाचित -पांच      7. सदस्य मनोनीत -चार (1. छात्र प्रतिनिधि- एक      2. अभिवक्त प्रतिनिधि- एक 3. अध्यापक प्रतिनिधि- एक 4. राजकीय प्रतिनिधि - एक)</p> <p>इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में छः पदाधिकारी व पांच सदस्य निर्वाचित तथा चार सदस्य मनोनीत कुल पन्द्रह सदस्य होंगे।</p>

मेरा नियम 1958 की पारा 19  
 के अनुसार इस संस्था के बारे में यह यह  
 घटनार्थी संस्था के बारे में यह मन्त्री, पत्र  
 ली कार्यालय जैसी प्रत्यक्षीय में दें।  
 तक उपलब्ध है कि प्रत्यक्षीय में  
 समर्पित प्रति देने की दिनांक  
 अकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर  
 रजिस्ट्रार संघरात, जलबद

# सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना(बहरोड) अलवर

पंजियन क्रमांक 252/2003-04

विधान संशोधन का तुलनात्मक विवरण

विधान की धारा संख्या	पूर्व विधान	संशोधित विधान
11. कार्य कारिणी का गठन	<p>संस्था के कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगे:-</p> <p>1. अध्यक्ष - एक    2. उपाध्यक्ष - एक      3. मन्त्री - एक    4. उपमंत्री - एक      5. कोषाध्यक्ष - एक    6. सदस्य निर्वाचित - छः      7. सदस्य मनोनीत-चार (1. छात्र प्रतिनिधि-एक      2. अभिवक्त प्रतिनिधि- एक 3. अध्यापक प्रतिनिधि- एक 4. राजकीय प्रतिनिधि- एक)</p> <p>इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में पांच पदाधिकारी व छः सदस्य निर्वाचित तथा चार सदस्य मनोनीत कुल पन्द्रह सदस्य होगे।</p>	<p>संस्था के कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगे:-</p> <p>1. अध्यक्ष - एक    2. उपाध्यक्ष - एक      3. मन्त्री - एक    4. उपमंत्री - एक      5. कोषाध्यक्ष - एक    6. आडिटर - एक      7. सदस्य निर्वाचित - पांच      7. सदस्य मनोनीत -चार (1. छात्र प्रतिनिधि- एक      2. अभिवक्त प्रतिनिधि- एक 3. अध्यापक प्रतिनिधि- एक 4. राजकीय प्रतिनिधि - एक)</p> <p>इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में छः पदाधिकारी व पांच सदस्य निर्वाचित तथा चार सदस्य मनोनीत कुल पन्द्रह सदस्य होगे।</p>

कै. 19 प्रयोग के लियम 1953 की धारा 19  
 द्वारा अध्यक्ष के अनुचित यह विवरण दिया जाता है कि यह प्रत्रादी संस्था के संग्रह में गढ़कु (2) मंत्री, पत्र जो कार्यालय की प्रशासनी में दिया जाता है (19)  
 तक उपलब्ध है कि प्रमाणित भर्ती की प्रमाणित प्रति देने की दिनांकित तिथि नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर..... 5. 1. 2004  
 रजिस्ट्रार सदस्यारूप अलवर

# सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना(बहरोड) अलवर

पंजियन क्रमांक 252 /2003-04  
कार्यकारिणी का गुलामक विवरण

## पूर्व कार्यकारिणी

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद	क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	श्री राजकुमार यादव	श्री आवरमिह	ब्यापार	ग्राम-पो. नामा बहरोड	अध्यक्ष	1.	श्री राजकुमार यादव	श्री ग्रावरमिह	ब्यापार	ग्राम-पो. मांगरा बहरोड	अध्यक्ष
2.	श्री रामेश कुमार	श्री पठवीरमिह	अध्यापन	ए५५ अशोकविलार अलवर	उपायका	2.	श्री विनेशभूषणराजपाल	पी. पी.आ.पा.	ब्यापार	ग्राम-पो. भागवाडीपत्ता बह.	उपायका
3.	श्री सच्चनदीपण	श्री रुद्रमल	दुक्कनदीरी	वार्ड न. २ बावडी बहरोड	मन्त्री	3.	श्री सुरेन्द्रकुमारवेणी	पी. विठ्ठलगत	ब्यापार	ग्राम-पो. भागवाडीपत्ता बह.	मन्त्री
4.	श्री रत्नोरम	श्री धीरसाम	ब्यापार	ग्राम-पो. गोदूलपुर बहरोड	उपमन्त्री	4.	श्री रामेश कुमार	पी. पठवीरमिह	अध्यापन	ए५५ अशोकविलार अलवर	उपमन्त्री
5.	श्री विनेशभूषण	श्री गोहनलाल	ब्यापार	वार्ड न. १ बहरोड	कोषाधक	5.	श्रीमति रविंद्रा	पी. रणधीरगिर	अध्यापन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	कोषाधक
6.	श्री मोहनलाल	श्री चालानदास	ब्यापार	नारनोल रोड बहरोड	सदस्य	6.	श्री सच्चनदीपण	पी. रुद्रमल	दुक्कनदीरी	वार्ड न. २ बावडी बहरोड	आडिटर
7.	श्री योहरमिह	श्री बनवारीलाल	ब्यापार	वार्ड न.३ खुण्ड बहरोड	सदस्य	7.	श्री विनेशभूषण	पी. गोहनलाल	ब्यापार	वार्ड न. १ बहरोड	सदस्य
8.	श्री चम्पाल	श्री रामदलस	ब्यापार	ग्राम-पो. दुर्घटा केशनगढ़	सदस्य	8.	श्रीमति रघुनाथ	पी. चम्पाल	ब्यापार	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	सदस्य
9.	श्री गुलाब	श्री पीछागम	दुकानदारी	वार्ड न.३ खुण्ड बहरोड	सदस्य	9.	श्रीमति रघुनाथ	पी. रामदलस	ब्यापार	ग्राम-पो. दुर्घटा केशनगढ़	सदस्य
10.	श्री पहानीयुद्धाद	श्री रामजीलाल	ब्यापार	ग्राम-पो. काट्टवास बहरोड	सदस्य	10.	श्री चम्पाल	पी. प्रभातीलाल	ब्यापार	ग्राम-पो. नामामण बहरोड	सदस्य
11.	श्रीमति शकुनलाल	श्री चमलता सिंह	अध्यापन	ग्राम-पो. काट्टवास बहरोड	सदस्य	11.	श्री पाल गुरु	श्री विनेश कुमार	ब्यापार	ग्राम-पो. नामामण बहरोड	सदस्य
12.	उच्च कक्ष का पोनीटर	पद्मन	अध्यापन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	मन्त्री	12.	उच्च कक्ष का पोनीटर	पद्मन	अध्यापन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	मन्त्री
13.	श्री गुरुदयालसिंह	श्री गुरुदय नाल	ब्यापार	ग्राम-पो. बालपुर बहरोड	अधिकारी	13.	श्री पठवीरमिह	पी. रामगोहन	ब्यापार	ग्राम-पो. काट्टवास बहरोड	अधिकारी
14.	प्रधानाधार्द	पद्मन	अध्यापन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	प्रधानाधार्द	14.	प्रधानाधार्द	पद्मन	अध्यापन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	अधिकारी
15.	विलासियाधार्दकारी	पद्मन	प्रधानाधार्द	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	प्रधानाधार्द	15.	विलासियाधार्दकारी	पद्मन	प्रधानाधार्द	प्रधानाधार्द	प्रधानाधार्द

पूर्व कार्यकारिणी का गुलामक विवरण  
पंजियन क्रमांक 252 /2003-04  
तकनीकी सेवा कर्त्ता का उल्लंघन  
प्रधानाधार्द का उल्लंघन  
तकनीकी सेवा कर्त्ता का उल्लंघन  
प्रधानाधार्द का उल्लंघन  
अध्यक्ष

मन्त्री  
कोषाधक  
राजमंत्री

पूर्व कार्यकारिणी का गुलामक विवरण  
पंजियन क्रमांक 252 /2003-04  
तकनीकी सेवा कर्त्ता का उल्लंघन  
प्रधानाधार्द का उल्लंघन  
तकनीकी सेवा कर्त्ता का उल्लंघन  
प्रधानाधार्द का उल्लंघन  
अध्यक्ष

मन्त्री  
कोषाधक  
राजमंत्री

# सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना(बहरोड) अलवर

पंजियन क्रमांक 252/2003-04

कार्यकारिणी का तुलनात्मक विवरण

## पूर्व कार्यकारिणी

वर्तमान कार्यकारिणी											
क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	वर्वसाय	पता	पट	क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	वर्वसाय	पता	पट
1.	श्री रामदेव मार बहरोड	श्री शशीरेख	व्यापार	ग्राम-पो.भागर बहरोड	अध्यापन	1.	श्री पद्माला याद	श्री शशीरेख	व्यापार	ग्राम-पो.भागर बहरोड	अध्यापन
2.	श्री गणेश कुमार	श्री महावीरसिंह	अध्यापन	ए५५ अलोकविहार अलवर	उपायक	2.	श्री लिलेश्वरराम	नी.पी.आर.आर.	व्यापार	ग्राम-पो.भगवाड़ीकला बह.	उपायक
3.	श्री सत्यनारायण	श्री रुद्रमल	इक्कनदी	बाई न.जयवही बहरोड	मंदी	3.	श्री सुरेन्द्रकुमारचौधरी	श्री शिवद्वारा	व्यापार	ग्राम-पो.भगवाड़ी-लला बह.	मंदी
4.	श्री रत्नीराम	श्री वीराम	व्यापार	ग्राम-पो.गोप्यकुमार बहरोड	उपमनी	4.	श्री गणेश कुमार	नी.महावीरसिंह	अध्यापन	ए५५ अलोकविहार अलवर	उपमनी
5.	श्री हिनेश्वरमा	श्री भोजनलाल	व्यापार	बाई न.1 बहरोड	कोषालका	5.	श्रीमति रविन्द्र	श्री रामोदीरेश	अध्यापन	ग्राम-पो.जखराना बहरोड	कोषालका
6.	श्री योहनलाल	श्री भगवननदास	व्यापार	गारनोल रोड बहरोड	सदस्य	6.	श्री स्थानीराधन	श्री रुद्रमल	इक्कनदी	बाई न.2 जयवही बहरोड	आडिल
7.	श्री योहनलिंग	श्री बनवारीलाल	व्यापार	बाई न.3 कुड बहरोड	सदस्य	7.	श्री हिनेश्वरमा	श्री योहनलाल	व्यापार	बाई न.1 बहरोड	सदस्य
8.	श्री योहनल	श्री रामदेव	व्यापार	ग्राम-पो.दुष्पेढा विधानगढ़	सदस्य	8.	श्री (योहनल)	श्री रामदेव	व्यापार	ग्राम-पो.दुष्पेढा विधानगढ़	सदस्य
9.	श्री युवत	श्री भालीराम	इक्कनदी	बाई न.10 बहरोड	सदस्य	9.	श्रीमति शशीरेख	श्री जनसन सिंह	अध्यापन	ग्राम-पो.लालदास बहरोड	सदस्य
10.	श्री महबोबसाद	श्री रामजीतलाल	व्यापार	ग्राम-पो.कुट्टवास बहरोड	सदस्य	10.	श्री यशेश्वर शमी	श्री रामजीतलाल	व्यापार	ग्राम-पो.जीपराप बहरोड	सदस्य
11.	श्रीमति शशीरेख	श्री जसकन सिंह	अध्यापन	ग्राम-पो.कुट्टवास बहरोड	सदस्य	11.	श्री पक्षल युवा	श्री हिनेश्वरमा	व्यापार	ग्राम-पो.जीपराप बहरोड	सदस्य
12.	उच्च कक्षा का योगीटर	पद्म	अध्ययन	ग्राम-पो.जखराना बहरोड	छात्र प्रति.	12.	उच्च कक्षा का योगीटर	पद्म	अध्ययन	ग्राम-पो.जखराना बहरोड	छात्र प्रति.
13.	श्री गुरुदयलसिंह	श्री कुट्टन लाल	व्यापार	ग्राम-पो.जखराना बहरोड	अधि.प्रति.	13.	श्री महावीरप्रसाद	श्री रामजीतलाल	व्यापार	ग्राम-पो.जीपराप बहरोड	अधि.प्रति.
14.	प्रधानमन्त्री	पद्म	अध्ययन	ग्राम-पो.जखराना बहरोड	अध्या.प्रति.	14.	प्रधानमन्त्री	पद्म	अध्ययन	ग्राम-पो.जखराना बहरोड	अध्या.प्रति.
15.	निलालीश्वरामाधिकारी	पद्म	अध्ययन	ग्राम-पो.जीपराप बहरोड	अधिकारी/विधायिकारी	15.	निलालीश्वरामाधिकारी/विधायिकारी	पद्म	अध्ययन	अलवर	राज.प्रति.

प्रधानमन्त्री उत्तरायण के एक्टों के उत्तरायण  
के लिए उत्तरायण के लिए उत्तरायण के लिए १९

प्रधानमन्त्री उत्तरायण के लिए उत्तरायण के लिए १९  
प्रधानमन्त्री उत्तरायण के लिए उत्तरायण के लिए १९

प्रधानमन्त्री उत्तरायण के लिए उत्तरायण के लिए १९

मंत्री

कोषालका

राजिन्द्रदेव त्रिव्यास, अलवर

**सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना (बहरोड)अलवर**  
**पंजियन क्रमांक 252/ 2003-04**  
**कार्यकारिणी का तुलनात्मक विवरण**

पूर्व कार्यकारिणी					वर्तमान कार्यकारिणी				
क्रम सं.	नाम	पिता/पति	व्यवसाय	पता	क्रम सं.	नाम	पिता/पति	व्यवसाय	पता
1.	श्री राजकुमार यादव	श्री जावरीसिंह	आपार	ग्राम-पो. मावरी बहरोड	अध्यापक	1. श्री राजकुमार यादव	श्री जावरीसिंह	आपार	ग्राम-पो. भजरा बहरोड
2.	श्री हितेशयोद्धरयाद	श्री पी.आर.भासा	आपार	ग्राम-पो. मावरीसिंह बहरोड	अध्यापक	2. श्री महावीरसिंह यादव	श्री मुख्यदेवसिंह	समाजसेवा	ए. 45 अधीक्षितार अलवर
3.	श्री सुरेच्छमार यादी	श्री विवेदयाल	आपार	ग्राम-पो. मावरीसिंह बहरोड	मंत्री	3. श्री राधीरसिंह	श्री जयहरलाल	अध्यापक	ग्राम-पो. जखराना बहरोड
4.	श्री राकेश्युमार	श्री महावीरसिंह	अध्यापक	ए. 45 अधीक्षितार अलवर	उपमंत्री	4. श्री राजेश्युमार	श्री महावीरसिंह	अध्यापक	ए. 45 अधीक्षितार अलवर
5.	श्रीमती रविन्द्रा	श्री राधवीरसिंह	अध्यापक	ग्राम-पो. मावरी बहरोड	कोषाध्यक्ष	5. श्रीमती रविन्द्रा	श्री राधवीरसिंह	अध्यापक	ग्राम-पो. जखराना बहरोड
6.	श्री मत्त्वनरायण	श्री रुद्रपल	दुकानदारी	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	आडिटर	6. श्रीमती तुष्मति	श्री महावीरसिंह	गृहणी	हसनखानेवालनगर अलवर
7.	श्री दिनेश्युमार	श्री मोहनलाल	आपार	चाई न. 2 बाबौदी बहरोड	सदस्य	7. श्रीमती सतीष	श्री महावीरसिंह	समाजसेवा	हसनखानेवालनगर अलवर
8.	श्री यम्पाल	श्री रामस्वलम	आपार	चाई न. 1 बहरोड	सदस्य	8. श्री यम्पाल	श्री यम्पाल	सदस्य	चाई न. 1 बहरोड
9.	श्रीमती गुरुनाला	श्री जाहावतसिंह	अध्यापक	ग्राम-पो. दुर्घटा निकामगढ़वास	सदस्य	9. श्रीमती गुरुनाला	श्री जाहावतसिंह	अध्यापक	ग्राम-पो. दुर्घटा निकामगढ़वास
10.	श्री चन्द्रशेखर	श्री प्रभाली लाल	आपार	ग्राम-पो. काटूवास बहरोड	सदस्य	10. श्री नितिन्युमार	श्री एमएस यादव	निकामगढ़वास	चाई न. 17 अलवर
11.	श्रीमी वायलुन्डा	श्री दिनेश्युमा	आपार	ग्राम-पो. नीमरना बहरोड	सदस्य	11. श्री महावीरसिंह	श्री रामजीलाल	आपार	ग्राम-पो. काटूवास बहरोड
12.	उच्चकशा चां मानीर	पद्मन	अध्यापक	संस्था का विद्यालय	पत्र प्रति.	12. उच्चकशा चां मानीर	पद्मन	अध्यापक	संस्था का विद्यालय
13.	श्री महावीरसाम	श्री रामजीलाल	आपार	ग्राम-पो. काटूवास बहरोड	अधिकारी	13. श्रीमती जंगना	श्री नितिन्यादव	गृहणी	अधीक्षितार अलवर
14.	प्रधानाचार्य	पद्मन	अध्यापक	संस्था का विद्यालय	अध्यापक	14. प्रधान	पद्मन	अध्यापक	संस्था का विद्यालय
15.	निलालियाजीपाली	पद्मन	उच्चसेवा	अलवर / जखरा	पत्र प्रति.	15. निलालियाजीपाली	पद्मन	पत्र प्रति.	अलवर / जखरा

१५५१९७३

मंत्री

कोषाध्यक्ष

संत्वं प्रतिलिपि  
१  
राजियन लक्ष्मी, अलवर

६ JUN 2013

**सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना (बहरोड)अलवर**  
**पंजियन क्रमांक २५२/ २००३-०४**  
**कार्यकारिणी का तुलनात्मक विवरण**

**पुर्व कार्यकारिणी**

क्रम सं.	नाम	पिता/पति	व्यवसाय	पता	पर क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	क्रम
१.	श्री राजकुमार यादव	श्री ग्राहरेड	व्यापार	ग्राम-पो. माजरा बहरोड	अध्यापन	१.	श्री राजकुमार यादव	श्री ग्राहरेड	व्यापार	ग्राम-पो. माजरा बहरोड
२.	श्री महावीरसिंह यादव	श्री मुखदेवसिंह	समाजसेवा	२. ४५ अशोकविहार अलवर	उपचाय	२.	श्री महावीरसिंह यादव	श्री मुखदेवसिंह	समाजसेवा	२. ४५ अशोकविहार अलवर
३.	श्री रामवीरसिंह	श्री जवाहरलाल	अध्यापन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	मंत्री	३.	श्री रामवीरसिंह	श्री जवाहरलाल	अध्यापन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड
४.	श्री रामेश्वरमार	श्री महावीरसिंह	अध्यापन	ए. ४५ अशोकविहार अलवर	उपर्युक्ती	४.	श्री रामेश्वरमार	श्री महावीरसिंह	अध्यापन	ए. ४५ अशोकविहार अलवर
५.	श्रीमती रविचंद्रा	श्री रामवीरसिंह	अध्यापन	ग्राम-पो. माजरा बहरोड	लोकप्रयाप	५.	श्रीमती रविचंद्रा	श्री रामवीरसिंह	अध्यापन	ग्राम-पो. माजरा बहरोड
६.	श्रीमती जुषपाति	श्री महावीरसिंह	गृहणी	हसनखामेवालनगर अलवर	आडिटर	६.	श्रीमती जुषपाति	श्री महावीरसिंह	गृहणी	हसनखामेवालनगर अलवर
७.	श्रीमती संतोष	श्री महावीरसिंह	समाजसेवा	हसनखामेवालनगर अलवर	सदस्य	७.	श्रीमती संतोष	श्री महावीरसिंह	समाजसेवा	हसनखामेवालनगर अलवर
८.	श्री रमेश्वर	श्री रामवीरसिंह	व्यापार	बाईठ. न. १ बहरोड	सदस्य	८.	श्री रमेश्वर	श्री रामवीरसिंह	व्यापार	बाईठ. न. १ बहरोड
९.	श्रीमती रघुनाथा	श्री जसवन्नीसिंह	अध्यापन	ग्राम-पो. रुद्धेडा निकाशगढ़बास	सदस्य	९.	श्रीमती रघुनाथा	श्री जसवन्नीसिंह	अध्यापन	ग्राम-पो. रुद्धेडा निकाशगढ़बास
१०.	श्री नितिनकुमार	श्री एमएस यादव	निकाश	बाईठ. न. १७ अलवर	सदस्य	१०.	श्री नितिनकुमार	श्री एमएस यादव	निकाश	बाईठ. न. १७ अलवर
११.	श्री महावीरप्रसाद	श्री रमगोलाल	व्यापार	ग्राम-पो. काठडाला बहरोड	सदस्य	११.	श्री महावीरप्रसाद	श्री रमगोलाल	व्यापार	ग्राम-पो. काठडाला बहरोड
१२.	उच्चकर्मा का मोनीर	रहेन	अध्यापन	संस्था का विवाहलय	छन्द ग्रहि.	१२.	उच्चकर्मा का मोनीर	रहेन	अध्यापन	संस्था का विवाहलय
१३.	श्रीमती अंजना	श्री नितिनयादव	गृहणी	अशोक निलाल अलवर	अभिप्रति.	१३.	श्रीमती अंजना	श्री नितिनयादव	गृहणी	अशोक निलाल अलवर
१४.	प्राचार्य	पद्मेन	अध्यापन	संस्था का विवाहलय	अध्यापन	१४.	प्राचार्य	पद्मेन	अध्यापन	संस्था का विवाहलय
१५.	निलालशिला अधिकारी/ निर्वनिधिलय का अधि.	पद्मेन	राजसेवा	अलवर / जपुर	राज.प्रति.	१५.	निलालशिला अधिकारी/ निर्वनिधिलय का अधि.	पद्मेन	राजसेवा	अलवर / जपुर

**वर्तमान कार्यकारिणी**

① *Regd.*

अध्ययन

मंत्री

कोषाध्यक्ष

सूची कार्ड के गढ़  
राजस्थान अलवर